श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, (टिहरी–गढवाल)--उत्तराखण्ड– 249199
Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, (Tehri-Garhwal)- Uttarakhand – 249199
Tel :(01376)-254065 Fax :(01376)-254065 Website: www.sdsuv.ac.in Email.ID:sdsuv123@gmail.com

Ref. No.: 2316 /SDSUV/Affi/2017-18 Dated: 17 / 01 /2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन द्वारा विश्वविद्यालयों में मान्यता/सम्बद्धता सम्बन्धी मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा किया गया है, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय में सम्बद्धता/मान्यता के इच्छुक संस्थान/महाविद्यालय उक्त नये शासनादेश के आधार पर आवेदन करेंगे, मान्यता/सम्बद्धता सम्बन्धी मानकों का शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14 दिसम्बर 2016 विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(दिनेश चन्द्र)
कुलसचिव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी।
3. प्रभारी मान्यता।
4. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्र)
कुलसचिव।

संख्या : 649/XXIV(3)/2016–01(30)/2015

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **देहरादून : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2016**

विषय महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य गठन के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता के सम्बन्ध में सुस्पष्ट दिशा–निर्देशों के अभाव के कारण प्रदेश में उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही सम्बद्धता सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त इन सभी शासनादेशों को अतिक्रमित कर संकलित रुप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2009 में जारी किये गये विनियमों तथा प्रथम संशोधन विनियम 2012 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) में व्यक्त अपेक्षाओं के अनुरुप महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रदेश के महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में संचालित होने वाले विषयों की सम्बद्धता के लिए निम्नलिखित मानक व प्रक्रिया निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अर्हता मानदण्ड

अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय (सूची संलग्न) द्वारा अद्यावधि विहित अपेक्षाओं एवं मानकों (जिसका सुस्पष्ट उल्लेख सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न–2 में निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र में किया जायेगा) को पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। सांविधिक/विनियामक निकाय का आशय एक ऐसे निकाय से है, जिसे केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत उच्च, तकनीकी, चिकित्सा, विधि, कृषि एवं आयुष शिक्षा के संचालन व नियंत्रण हेतु गठित किया गया हो। यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में मानक/प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है तो उस पाठ्यक्रम के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा निम्नलिखित मानकों व प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में मानकों के पूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम में न्यूनतम तीन वर्ष अथवा पाठ्यक्रम की अवधि (जो भी कम हो) के लिए सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

(i) **भूमि** : अविवादित स्वामित्व एवं किसी भी ऋण भार से मुक्त भूमि, यदि यह नगर निगम क्षेत्र में स्थित है, तो न्यूनतम 2 एकड़ भूमि, अन्य क्षेत्र में न्यूनतम 5 एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि। यह भूमि, राजस्व भू–अभिलेखों में प्रस्तावक संस्था/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के स्वामित्व में दर्ज होने के साथ–साथ एक ही स्थान पर होनी आवश्यक है। यह नियम उन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा जो इस शासनादेश के जारी होने से पूर्व राज्य के किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों।

(ii) **भवन** : महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के पास शैक्षणिक, प्रशासनिक व अन्य कार्यो के लिए निजी भवन होना अनिवार्य है जिसमें सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित मानकों के अनुरुप भावी विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये। संकायों, व्याख्यान कक्षों, सम्मेलन कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं इत्यादि की निम्नानुसार व्यवस्था की जायेगी :–

(अ) कक्षों का न्यूनतम आकार :

क्र. सं.	कक्ष का विवरण	कक्ष का क्षेत्रफल
	(i) शैक्षणिक ब्लाक :	
1	व्याख्यान कक्ष	900 वर्ग फुट (प्रत्येक कक्ष)
2	प्रायोगिक विषय हेतु प्रयोगशाला कक्ष	1000 वर्ग फुट (प्रत्येक कक्ष)
3	प्रायोगिक विषय हेतु भण्डार कक्ष	200 वर्ग फुट (प्रत्येक कक्ष)
4	पुस्तकालय (एक)	4000 वर्ग फुट
5	विभाग में असिसटेंट प्रोफेसर के न्यूनतम 5 पद सृजित होने की दशा में विभागीय कक्ष (5 से अधिक पद होने की दशा में तद्नुसार कक्षों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि करनी होगी)	500 वर्ग फुट (प्रत्येक विभाग का कक्ष)
6	विभागाध्यक्ष कक्ष/स्टाफ कक्ष	400 वर्ग फुट (प्रत्येक विभाग का कक्ष)
	(ii) प्रशासनिक ब्लाक :	
7	प्राचार्य कक्ष (एक)	500 वर्ग फुट
8	कार्यालय कक्ष (एक)	500 वर्ग फुट
9	अभिलेखागार कक्ष (एक)	200 वर्ग फुट
10	भण्डार कक्ष (एक)	200 वर्ग फुट
11	परीक्षा कक्ष (एक)	600 वर्ग फुट
12	आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC)	500 वर्ग फुट
13	प्रत्येक शिक्षणेत्तर गतिविधि के लिए कक्ष	300 वर्ग फुट (प्रत्येक कक्ष)

	(iii) विविध :	
14	बहुउद्देशीय हाल (सभा, सगोष्ठी, कार्याशाला व विविध कार्यक्रमों के लिए) (i) 500 छात्र संख्या तक (ii) 500 से अधिक लेकिन 1000 छात्र संख्या तक (iii) 1000 से अधिक छात्र संख्या की दशा में	 2000 वर्ग फुट 4000 वर्ग फुट 10000 वर्ग फुट
15	कामन रुम (छात्र) (एक)	600 वर्ग फुट
16	कामन रुम (छात्रा) (एक)	600 वर्ग फुट
17	प्रत्येक संकाय में शौचालय (छात्र/छात्रा हेतु पृथक)	500 वर्ग फुट (प्रत्येक शौचालय)
18	छात्र संघ कक्ष (एक)	300 वर्ग फुट

(ब) शैक्षणिक ब्लाक में कक्षों की न्यूनतम संख्या

क्र0 सं0	संकाय/विभाग	व्याख्यान कक्ष	प्रयोगशाला (प्रयोगात्मक विषयों हेतु)	भण्डार कक्ष (प्रयोगात्मक विषय)
1	स्नातक स्तर पर कला संकाय के 7 विषयों के लिए (7 से अधिक विषयों की दशा में व्याख्यान कक्षों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि करनी होगी)	3	1 (प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय)	1 (प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय)
2	स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के लिए	3	—	—
3	स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में 5 विषयों के लिए	4	1 (प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय)	1 (प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय)
4	स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय में प्रत्येक विषय के लिए	1 (प्रत्येक विषय)	1 (प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय)	1 (प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय)
5	वाणिज्य संकाय के लिए	2	—	—

नोट :

(1) उपर्युक्त मानक, महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में एक विषय में छात्र–छात्राओं के एक अनुभाग (सेक्शन) जिसमें अधिकतम 70 विद्यार्थी हों, के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त सेक्शन होने की दशा में उपर्युक्त मानकों मे अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता होगी।

(2) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के भवन के विभिन्न कक्षों में आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवाओं जैसे जल, विद्युत, संवातन, प्रशाधन इत्यादि के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिये तथा भवन में सुरक्षा, संरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए पर्याप्त उपाय होने चाहिये।

(3) पंजीकृत सोसाइटियों/न्यास को न्यायोचित अपवाद स्वरुप मामलों में इस शर्त के अध्यधीन मौजूदा उपलब्ध भवन में प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी जा सकती है कि उसके द्वारा सभी अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को शासनादेश के प्रावधानों के अनुरुप पूरा किया गया है तथा महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान, द्वितीय वर्ष के अंत तक भवन निर्माण पूरा कर लेगा तथा तृतीय वर्ष के आरंभ तक महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान स्थायी भवन में पूरी तरह स्थानांरित हो जाएगा। ऐसा न होने पर महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा जब तक कि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान स्थायी भवन में स्थानांतरित नहीं हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी भवन में स्थानांतरण हेतु 5 वर्ष से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

(4) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा ऊर्जा संरक्षण हेतु वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों/ऊर्जा कम खर्च करने वाले उपकरणों/सी0एफ0एल0 आदि का प्रयोग किया जायेगा।

(5) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा भूजल में अभिवृद्धि किये जाने के लिए भवन निर्माण/निर्मित भवन में वाटॅर हार्वेस्टिगं का भी प्रावधान किया जायेगा।

(6) पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में पर्याप्त संख्या में छायादार वृक्ष रोपित किये जायेंगे।

(7) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में उच्च कोटि के शैक्षणिक व प्रशासनिक वातावरण के लिए भवन निर्माण में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा विविध ब्लाकों के लिए पृथक–पृथक इकाईयों का निर्माण किया जायेगा।

(8) राजकीय महाविद्यालय की दशा में उपर्युक्तानुसार निर्धारित मानकों के आधार पर भवन की लागत का आगणन अनुमोदित निर्माण एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

(9) दिव्यांग एवं शारीरिक रुप से अशक्त व्यक्तियों के लिए भवन में वांछित सुविधाओं होनी अनिवार्य है।

(10) विश्वविद्यालयों द्वारा केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा जो सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक आयोग/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

(iii) पुस्तकालय :

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के पुस्तकालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की कम से कम 1000 पाठ्य व सन्दर्भ पुस्तकें अथवा प्रस्तावित पाठ्यकम के प्रत्येक विषय के अलग–अलग शीर्षकों (Titles) पर 100 पाठ्य व सन्दर्भ पुस्तकें (जो दोनो में से अधिक हों) के साथ–साथ प्रत्येक विषय पर दो जर्नल्स होने चाहिये। पुस्तकालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सांविधिक निकायों द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गो के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा भी होनी चाहिये।

(iv) प्रयोगशाला :

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में संचालित किये जाने वाले प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम/विषयों में प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला में उपकरण इत्यादि, सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित किये गये अद्यतन मानकों के अनुसार होने अनिवार्य हैं। जिन पाठ्यक्रमों/विषयों में सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा मानक निर्धारित नही किये गये हैं, उनकी प्रयोगशालाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् द्वारा बनाये गये मानक लागू होंगे। प्रयोगशाला के निर्धारित मानकों के अनुसार ही अनावर्तक व आवर्तक व्ययों के लिए महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में वांछित बजट-प्रविधान होना भी अनिवार्य है।

(v) फर्नीचर व उपकरण :

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के व्याख्यान व प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ व विभागीय कक्ष, प्राचार्य व कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, कामॅन रुम तथा अन्य सभी कक्षों के लिए पर्याप्त फर्नीचर तथा आवश्यकतानुसार उपकरणों व संयत्रों के साथ-साथ प्रबन्ध संचालन के लिए वांछित संख्या में कम्प्यूटर (इण्टरनेट सुविधायुक्त) होने अनिवार्य हैं।

(vi) प्रबन्ध :

राजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्ध-संचालन, उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देश व नियन्त्रण में उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। अनुदानित व निजी महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों का संचालन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अर्न्तगत अद्यावधिक पंजीकृत व विधिवत रुप से गठित समिति अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अर्न्तगत स्थापित न्यास द्वारा किया जायेगा।

(vii) प्राभूत :

यदि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान, राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है तो उसे यह साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के पास कम से कम तीन वर्षो तक बिना किसी सहायता या बाहरी स्त्रोत के चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के लिए यह आवश्यक नहीं है। पुनः अशासकीय महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को मानविकी, विज्ञान तथा वाणिज्य में पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में रु0 15 लाख तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में रु0 35 लाख अथवा सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित धनराशि (जो दोनो में अधिक हो) प्रति पाठ्यक्रम की दर से महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के नाम अप्रतिसंहरणीय (Irrevocable) सरकारी प्रतिभूति के रुप में स्थायी कायिक निधि (Corpus Fund) का सृजन तथा उससे रख रखाव का साक्ष्य, विश्वविद्यालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। स्थायी कायिक निधि के स्थान पर महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा उपर्युक्त

धनराशियों की विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के संयुक्त नाम से न्यूनतम तीन वर्षो की लॉक इन अवधि की सावधि–जमा भी करवाई जा सकती है। यह प्रतिभूति/सावधि जमा, सम्बद्धता के आवेदन पत्र के साथ ही उपलब्ध कराई जायेगी। सावधि जमा से प्राप्त ब्याज का उपयोग, विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को यह भी साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि उसके पास सतत् रुप से कार्य करने के लिए स्वंय के स्त्रोतों से पर्याप्त आवृत्ति आय (Recurring Income) उपलब्ध है।

(viii) पद सृजन व कार्यभार :

(अ) राजकीय तथा अनुदानित महाविद्यालय

राजकीय तथा सरकार द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों में असिसटेंट प्रोफेसर तथा कार्यालय/पुस्तकालय/प्रयोगशाला से सम्बन्धित कार्मिकों के पदों का सृजन संलग्न–1 मे प्रदत्त कार्यभार तालिका के अनुसार किया जायेगा। असिसटेंट प्रोफेसर तथा कर्मचारियों की अर्हता, चयन तथा नियुक्ति प्रक्रिया तथा वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं निर्देशों का पालन किया जायेगा। अनुदानित महाविद्यालयों में असिसटेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के 3 माह के अन्दर प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। राजकीय तथा अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना एक पखवाड़े के अन्दर शासन, सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है।

(ब) निजी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यकम

निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानो एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यकमों के लिए प्राध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का पद सृजन तथा कार्यभार निर्धारण सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। यदि इन निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में मानक निर्धारित नही किये गये हैं तो निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में कार्मिकों के पदों का सृजन संलग्न–1 में प्रदत्त कार्यभार तालिका अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों (जो भी अधिक हो) के अनुसार किया जा सकता है लेकिन असिसटेंट प्रोफेसर/प्रोफेसर पद की अर्हता के मानक वही होंगे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित किये गये हैं। निजी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिए नियुक्त प्राध्यापकों का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के 3 माह के अन्दर प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दशा में निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के लिए प्राध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन शासन द्वारा नहीं किया जायेगा तथा न

ही इस हेतु कोई अनुदान प्रदान किया जायेगा। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में प्राध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति केवल संविदा पर ही की जायेगी। चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, विधि व आयुष विभागों इत्यादि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में पद सृजन व कार्यभार इत्यादि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

(ix) प्रवेश तथा शुल्क :

राजकीय तथा अनुदानित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण शासन द्वारा किया जायेगा। निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में छात्र–छात्राओं के प्रवेश तथा पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण में उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम 2006 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा। जिन विषयों के प्रवेश व शुल्क के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत व्यवस्था न की गई हो, उस सम्बन्ध में सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा बनाये गये तथा शासन द्वारा अनुमोदित विनियमों का पालन किया जायेगा। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में संचालित होने वाले पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षकों से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क या दान आदि नहीं लिया जायेगा। कोई भी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान, सम्बद्धता प्राप्त करने की प्रत्याशा में किसी भी पाठयकम में छात्र–छात्रा को प्रवेश नही देगा तथा न ही किसी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा संस्वीकृत सीटों से अधिक प्रवेश करेगा। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में पूर्व से अनुमोदित व संचालित पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना समाप्त नहीं किया जायेगा।

(x) विशिष्ट वर्गो के लिए प्रावधान :

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गो के छात्र–छात्राओं के शैक्षाणिक तथा कल्याण सम्बन्धी कियाकलापों पर शासकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के साथ–साथ उचित रुप से ध्यान दिया जायेगा।

(xi) आय–व्यय :

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों के आय–व्यय का लेखा–जोखा तथा सभी आवश्यक रजिस्टर व अभिलेखों का नियमानुसार रख–रखाव करने के साथ–साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में 30 जून से पूर्व लेखों का अंक्षेकण करवाया जायेगा तथा विश्वविद्यालय/शासन/सम्बन्धित निदेशालय द्वारा मॉग किये जाने पर अंकेक्षण आख्या उपलब्ध कराई जायेगी।

(xii) सूचनाएँ उपलब्ध कराना :

शैक्षणिक स्तर बनाये रखने तथा निष्पादन की निगरानी (Monitoring) के साथ–साथ मूल्यांकन करने हेतु पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय/सम्बन्धित विश्वविद्यालय/शासन/सम्बन्धित निदेशालय द्वारा निर्देशित किये जाने पर महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय/विश्वविद्यालय/शासन/सम्बन्धित निदेशालय द्वारा निर्गत सभी निर्देशों व आदेशों का महाविद्यालय तथा शिक्षण संस्थान द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(xiii) वैबसाइट :

प्रत्येक महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा वैबसाइट बनायी जानी अनिवार्य है जिसमें महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे नाम, पता, स्थापना वर्ष, संस्था तथा उसके पदाधिकारियों का विवरण, समस्त स्टाफ का विवरण, संचालित पाठ्यक्रम, शुल्क ढांचा, मान्यता, उपलब्ध सुविधाऐं तथा वार्षिक लेखों इत्यादि की समस्त सूचनाओं को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

2. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रकिया

उत्तराखण्ड (उत्तरप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) अधिनियम 2005 की धारा 37(2) में किसी भी महाविद्यालय/ शिक्षण संस्थान को सम्बद्धता के निर्धारित मानक पूर्ण करने पर कुलाधिपति की पूर्वानुमति के पश्चात् सम्बन्धित विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार प्रदेश में महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करना :

प्रदेश में नये महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की स्थापना व सम्बद्धता के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अर्न्तगत पंजीकृत संस्था अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अर्न्तगत स्थापित न्यास जिसके संविधान में शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन का उद्देश्य स्पष्टतः अंकित हो (राजकीय महाविद्यालय की दशा में, सम्बन्धित निदेशालय) द्वारा प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रार्न्तगत सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय में संस्था के पैड पर सम्बद्धता के लिए प्रस्तावित पाठ्यकम का उल्लेख करते हुए आवेदन–पत्र (राजकीय महाविद्यालय की दशा में रु0 2500=00 तथा अन्य महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों की दशा में रु0 5000=00 के शुल्क सहित) प्रस्तुत किया जायेगा। यदि किसी पाठ्यकम की सम्बद्धता के लिए सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है तो आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्नक–2 में निर्धारित प्रारुप के भाग–III के कालम संख्या (3) में वांछित बिन्दुओं को पूर्ण कर आवेदक संस्था को

उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक संस्था द्वारा संलग्नक–2 में निर्धारित प्रारुप के भाग–III के कालम संख्या (4) को पूर्ण कर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के कम से कम 6 माह पूर्व विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र जमा किया जायेगा। सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत करने से सम्बद्धता प्रदान करने तक प्रत्येक स्तर पर अधिकतम एक माह के अन्दर वांछित निर्णय लिया जाना अनिवार्य है। यदि उक्त एक माह के अन्दर सम्बन्धित स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है अथवा वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित स्तर को सन्दर्भित प्रकरण में कोई आपत्ति नहीं है। सम्बद्धता के लिए निर्धारित शर्तें पूर्ण होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान को शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। निजी तथा अनुदानित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के लिए प्रस्तावक संस्था को आवेदन पत्र के साथ संलग्न–3 में निर्धारित प्रारुप में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(ii) **प्रकिया शुल्क :**

नये महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के सम्बद्धता प्रस्तावों के परीक्षण, स्थलीय निरीक्षण एवं अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए राजकीय महाविद्यालयों द्वारा रु0 10,000=00 तथा अन्य महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं द्वारा रु0 50,000=00 का प्रकिया शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। प्रकिया शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं लौटाया जायेगा।

(iii) **परियोजना प्रतिवेदन :**

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा सम्बद्धता के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संलग्नक–4 में अंकित बिन्दुओं पर आधारित एक परियोजना प्रतिवेदन भी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) **निरीक्षण :**

सम्बद्धता के लिए इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को निरीक्षण किये जाने के समय सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित समस्त मानको को पूर्ण करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावक संस्था/न्यास/सोसाइटी का प्रस्ताव, औचित्यपूर्ण एंव संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् निम्नानुसार गठित समिति के माध्यम से प्रस्तावित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का स्थलीय निरीक्षण करवाया जायेगा :–

1. कुलपति द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ।
2. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के सम्बन्धित संकाय के डीन अथवा समकक्ष शिक्षाविद्।

3. सम्बन्धित विभाग द्वारा जिला स्तर पर नामित उपनिदेशक/प्राचार्य स्तर से अनिम्न् स्तर का अधिकारी।
4. लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित विभाग का अधिशासी अभियन्ता से अनिम्न् स्तर का अभियन्ता।

कुलपति द्वारा नामित किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ जो कि प्रोफेसर के स्तर हो, समिति का अध्यक्ष होगा। निरीक्षण समिति के गठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि न केवल प्रत्येक महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अथवा विषय विशेषज्ञ के रुप में पृथक–पृथक महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों की निरीक्षण समितियों में भिन्न–2 व्यक्ति नामित हों वरन् प्रतिवर्ष निरीक्षण समिति में परिवर्तन किया जाय। निरीक्षण समिति में केवल स्वच्छ छवि वाले ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों को ही नामित किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण समिति के प्रत्येक सदस्य को निरीक्षण के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय के अद्यावधि मानदण्डों की प्रमाणित प्रतियॉं उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। निरीक्षण समिति के सभी सदस्य एक साथ किसी एक निर्धारित तिथि को महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा निर्धारित मानकानुसार सभी अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध होने अथवा न होने, जैसी भी स्थल पर स्थिति हो, का तथ्यात्मक उल्लेख संलग्नक–2 में निर्धारित प्रारुप में निरीक्षण आख्या में अंकित करते हुए आख्या/संस्तुति विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण के दौरान समिति के सभी सदस्य महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के भवन के साथ अपनी फोटों भी खिचांएगे जिसे निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण समिति के सभी सदस्यों के यात्रा व्यय का भुगतान सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। किसी भी दशा में यात्रा व्यय आदि का भुगतान महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा।

(v) सम्बद्धता स्वीकृति :

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए महामहिम कुलाधिपति की सहमति प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना प्रतिवेतन व संलग्नक–2 में निर्धारित प्रारुप में निरीक्षण आख्या (संस्तुति सहित) कुलाधिपति कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। महामहिम कुलाधिपति द्वारा सम्बद्धता प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने तथा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों का संचालन किया जायेगा। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं, सांविधिक/ विनियामक निकाय के मानकों तथा निरीक्षण आख्या के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने वाले विषयों/पाठ्यक्रमों में सीटों का निर्धारण किया जायेगा।

महाविद्यालय/शिक्षण संस्था को प्रदान की गई अस्थायी सम्बद्धता का विस्तरण भी उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

(vi) **सम्बद्धता अस्वीकृति :**

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया के किसी भी चरण में निर्धारित मानकों/प्रक्रियाओं के पूर्ण न करने पर सम्बद्धता प्रस्ताव अस्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा तद्नुसार सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को यथासमय सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को प्राभूति (Security) वापिस लौटा दी जायेगी।यदि भविष्य में महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों/प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाता है तो आवेदन अस्वीकृत होने की तिथि के 6 माह बाद पुनः सम्बद्धता के लिए उपर्युक्त प्रक्रियानुसार आवेदन किया जा सकता है।

3. स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अर्हता मानदण्ड व प्रक्रिया

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानक पूर्ण करने आवश्यक होंगे :-

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सांविधिक/विनियामक निकाय/ शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा विहित मानदण्डों के अनुरुप महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान ने शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर बनाए रखते हुए तथा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त किये हुए संतोषजनक निष्पादन के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लिए हों ।

(ii) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा इस शासनादेश में अस्थाई सम्बद्धता के लिए विहीत मानकों के अनुसार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर उसमें सभी वांछित संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था कर ली हो।

(iii) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा इस शासनादेश में अस्थाई सम्बद्धता के लिए विहीत मानकों व प्रक्रिया के अर्न्तगत सभी शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षाणिक स्टाफ की नियुक्ति निर्धारित वेतनमानों में कर ली हो।

(iv) स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को अस्थायी सम्बद्धता के पॉच वर्ष पूर्ण होने पर संलग्न-2 में निर्धारित प्रारुप में उसी प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय में आवेदन करना होगा जिस प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी सम्बद्धता के लिए आवेदन किया गया था। आवेदन पत्र के साथ प्रस्ताव के परीक्षण, स्थलीय निरीक्षण तथा अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए राजकीय महाविद्यालयों द्वारा रु0 10,000=00 तथा अन्य महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं द्वारा रु0 50,000=00 का प्रकिया शुल्क भी विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाने की सम्पूर्ण प्रकिया, इस शासनादेश में विहीत अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया के समान ही होगी लेकिन परियोजना प्रतिवेदन के बिन्दु (छ) में महाविद्यालय/ शिक्षण संस्थान को 5 वर्षो के स्थान पर 10 वर्षो के लिए प्रस्तावित विकास परियोजना प्रस्तुत करनी होगी।

(v) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के सुचारु संचालन, विकास एवं भावी योजनाओं पर विचार–विमर्श के लिए स्टाफ व चयनित छात्र–छात्राओं की एक 'विकास परिषद्' का भी गठन किया जाना आवश्यक है।

(vi) राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं प्रमाणन परिषद् (NAAC) अथवा अन्य किसी सांविधिक प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन किया जाना आवश्यक है।

4. नये विषय/पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता के मानक व प्रकिया

पूर्व से स्थापित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में नये विषय/पाठ्यक्रम तथा स्नातक महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सम्बद्धता पर केवल उसी दशा में विचार किया जायेगा जबकि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गई हो। नये विषय/पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता प्रदान करने के मानदण्ड व प्रक्रिया, इस शासनादेश में विहीत अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के मानदण्ड व प्रक्रिया के समान ही होगी।

5. सम्बद्धता समाप्त करना

(i) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा सम्बद्धता के लिए निर्धारित मानकों के उल्लघंन करने अथवा निर्देशों का अनुपालन न करने अथवा अन्य किसी भी स्तर पर प्रकरण/शिकायत प्राप्त होने तथा प्रकरण/शिकायत की जॉच समिति द्वारा विधिवत जॉच करने पर यदि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के उपबन्धों या नियमों अथवा शासन/विश्वविद्यालय/सांविधिक/विनियामक निकाय के निर्देशों या अनुदेशों का पालन करने में असफल सिद्ध होता है अथवा सम्बद्धता की किसी शर्त का पालन करने में असफल होता है, या इस प्रकार आचरण करता है जो कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर तथा विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तो उक्त महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को प्रदान की गयी सम्बद्धता आंशिक या पूर्ण रुप से समाप्त किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति की जाएगी।

(ii) यदि कोई सम्बद्ध महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम का संचालन करना बन्द कर देता है अथवा विश्वविद्यालय/शासन की बिना अनुमति के वह किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित हो जाता है या किसी पृथक समाज, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास हस्तान्तरित हो जाता है, तो महाविद्यालय/संस्थान को प्रदत्त सम्बद्धता, हस्तान्तरण, स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा इसे भावी सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ नया महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान माना जायेगा।

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान/ट्रस्ट/सोसाइटी के इस आचरण को कदाचार माना जायेगा तथा ऐसी स्थिति में उसे अंतिम रुप से प्रतिबन्धित भी किया जा सकता है।

(iii) यदि विश्वविद्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को प्रदान की गई सम्बद्धता को वापस लेने का निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता, अस्थायी या स्थायी रुप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जोकि आदेश जारी किये जाने के समय इसमें अध्ययनरत थे जब तक कि वे पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि के तहत् सम्बन्धित पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय पंजीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय/शासन द्वारा यथोचित निर्णय/कार्यवाही द्वारा प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा की जायेगी।

6. अन्य शास्तियां

(i) यदि कोई विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करता है जो शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार सम्बद्धता की शर्तो/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं अथवा कोई विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के संगत उपबंधों का उल्लंघन कर सम्बद्धता प्रदान करता है तो शासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो जिसमें विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान को बंद करना तथा/अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत् अनुरक्षित सूची से विश्वविद्यालय का नाम हटाना शामिल है।

(ii) कोई भी ऐसा महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(f) के अर्न्तगत सम्मिलित किया गया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(B) के अर्न्तगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त कर रहा है, यदि सम्बद्धता के विनियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसी दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई भी उचित कार्यवाही करेगा जिसमें सम्बन्धित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को दिये जाने वाले अनुदान को रोका जायेगा अथवा उस महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों की सूची में से, जो अनुच्छेद 2(f) एवं/अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 12(B) के अर्न्तगत है, उस महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का नाम हटा दिया जायेगा।

7. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड (उत्तरप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) अधिनियम 2005 की धारा 49(m) के सन्दर्भ में राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित व्यवस्था को सम्बन्धित विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर समावेषित/प्रतिस्थापित करने के लिए वांछित कार्यवाही की जाय तथा शासन के उक्त निर्णय एवं आदेश से सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को अवगत कराया जाय।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव

पृ०सं० 649(1)/XXIV(3)/2016–01(30)/2015, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
(1) सचिव, श्रीराज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।
(2) सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(4) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
(5) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(7) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(8) समस्त निदेशक, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड।
(9) निदेशक एन.आई.सी. उत्तराखण्ड।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संलग्नक – 1

महाविद्यालयों में कार्यभार के आधार पर पदों की गणना

नोट : अखिल भारतीय सांविधिक/विनियामक निकाय से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में शैक्षिक कार्यभार तथा पदों की गणना सम्बन्धित निकाय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार की जायेगी। राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के कार्यभार तथा पदों की गणना निम्नानुसार की जायेगी :–

(अ) प्राध्यापकों के पदों की गणना

कक्षा	विषय	व्याख्यान प्रति सप्ताह (वादन) (45 मिनट प्रति वादन)	प्रयोगात्मक प्रति सप्ताह (वादन)
एम.एस–सी.	रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान	16	28
	भौतिकी	20	24
एम.ए. व एम.एस–सी.	सांख्यिकी	20	12
	गणित	24	–
एम0ए0	भाषायें	24	–
	अन्य विषय	20	–
एम.ए.	भूगोल, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान एवं सैन्य विज्ञान	16	6
एम.ए.	ड्राइंग–पेंटिंग	12	8
एम.ए.	संगीत	12	8
एम.कॉम.	–	24	–
एम.एस–सी.	कृषि	16	20
बी0ए0	भाषायें तथा सामान्य विषय	6	–
	भूगोल, सैन्य विज्ञान	6	4
	सांख्यिकी	6	6
	संगीत	3	6

	ड्राइंग–पेंटिग मनोविज्ञान एवं गृहविज्ञान	3 6	6 3
बी0एस–सी0	गणित	12	–
बी0एस–सी0	भौतिक, रसायन, प्राणि, वनस्पति, भूगर्भ, सांख्यिकी	6	6
बी0कॉम	–	24	–

नोट :

1. एक शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक प्राध्यापक को 30 कार्यशील सप्ताहों में न्यूनतम 40 घन्टे प्रति सप्ताह कार्य करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्राध्यापक, महाविद्यालय में न्यूनतम 5 घन्टे प्रतिदिन उपलब्ध रहेगा।
2. महाविद्यालय में प्रत्येक प्राध्यापक का न्यूनतम साप्ताहिक शैक्षणिक कार्यभार 18 घन्टे अथवा 45 मिनट के वादन की दशा में 24 वादन होगा।
3. कार्यभार के आगणन हेतु शिक्षण कार्य (Class Room Teaching) को पूरा घन्टा तथा प्रयोगात्मक कार्य के एक घन्टे के स्थान पर 3/4 घन्टा माना जायेगा। सेमिनार/ट्यूटोरियल कार्य का आगणन कार्यभार के प्रति मान्य नहीं होगा।
4. पद सृजन हेतु व्याख्यान का प्रत्येक वर्ग 70 छात्र का माना जायेगा। परन्तु यदि एक ही वर्ग (सेक्शन) है अथवा अन्तिम शेष वर्ग में 80 छात्र तक का एक ही वर्ग माना जायेगा।
5. कला तथा विज्ञान के प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय में तथा कृषि के रसायन, जिनेटिक्स, पादप रोग, कीट विज्ञान तथा दुग्ध विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्य हेतु 20 छात्रों तक एक वर्ग माना जायेगा। परन्तु यादि एक ही वर्ग है तो 30 छात्र तक एक ही वर्ग माना जायेगा। परन्तु यदि व्याख्यान के एक वर्ग में 60 छात्रों से अधिक है तो प्रत्येक ऐसे व्याख्यान वर्ग में प्रयोगात्मक कार्य हेतु केवल तीन ही वर्ग होंगे। यदि 70–70 छात्रों के व्याख्यान मे 3 वर्ग है तो प्रयोगात्मक में केवल 9 वर्ग ही मान्य होंगे।
6. स्नातक स्तर पर कृषि के शेष विषयों में प्रयोगात्मक कार्य हेतु 30 छात्र प्रति एक वर्ग व एक व्याख्यान वर्ग में अधिकतम 2 वर्ग ही मान्य होंगे।
7. स्नातकोत्तर विषयों में प्रयोगात्मक कार्य प्रत्येक वर्ग 15 छात्रों का होगा। परन्तु 20 छात्रों तक भी एक ही वर्ग माना जायेगा जैसे 10,15 अथवा 18 छात्र हैं तो केवल एक ही वर्ग माना जायेगा। परन्तु 22,28, 32 अथवा 35 छात्र हैं तो दो वर्ग माने जायेंगे।

8. नवीन महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की स्थापना के समय स्नातक स्तर पर कला व विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम 1 असिसटेंट प्रोफेसर तथा वाणिज्य संकाय में न्यूनतम 3 असिसटेंट प्रोफेसर के पद स्वीकृत किये जायें। द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ होने पर शैक्षणिक कार्यभार के आधार पर पद स्वीकृत किये जायें।

उपर्युक्त मानकों के आधार पर प्राध्यापकों के पदसृजन की गणना का एक उदाहरण :

यदि किसी महाविद्यालय में बी0एस–सी0 प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में क्रमशः 130,90 व 60 विद्यार्थी हैं तो 70 विद्यार्थियों के एक बैच तथा प्रति सप्ताह 6 वादन (थ्योरी) तथा 6 वादन (प्रेक्टिकल) के आधार पर शैक्षणिक कार्यभार निम्नवत् होगा :–

		विद्यार्थी	÷	एक बैच में विद्यार्थियों की संख्या	=	बैच	X	वादन =	कुल वादन
थ्योरी	बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष	130	÷	70	=	2	X	6 =	12
	बी0एस–सी0 द्वितीय वर्ष	90	÷	70	=	1	X	6 =	6
	बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष	60	÷	70	=	1	X	6 =	6
					थ्योरी के कुल वादनों की संख्या				24
प्रेक्टिकल	बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष	130	÷	20	=	6	X	6 =	36
	बी0एस–सी0 द्वितीय वर्ष	90	÷	20	=	4	X	6 =	24
	बी0एस7सी0 तृतीय वर्ष	60	÷	20	=	3	X	6 =	18
					प्रेक्टिकल के कुल वादनों की संख्या				78

चूँकि प्रेक्टिकल में 1 घन्टे के स्थान पर 3/4 घन्टा कार्यभार प्राविधानित है, अतः शैक्षणिक कार्यभार की दृष्टि से प्रेक्टिकल के कुल वादनों की संख्या 78 X 3/4 = 59 वादन

इस प्रकार बी0एस–सी0 प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में कुल वादनों की संख्या 24+59 =83 वादन

चूंकि एक प्राध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 24 वादन का कार्यभार प्राविधानित है तो अनुमन्य प्राध्यापकों के पदों की संख्या 83 ÷ 24 =3.45 अर्थात 3 पद होगी।

(ब) <u>कर्मचारियों के पदों की गणना</u>

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद सृजन के लिए महाविद्यालयों को तीन श्रेणियों में रखकर पद सृजन सम्बन्धी मानक निश्चित किये जायें :–

(i) जिन महाविद्यालयों की संख्या 1000 या 1000 से कम हो उन्हें 'ग' श्रेणी में रखा जाय।

(ii) जिन महाविद्यालयों की संख्या 1000 से अधिक तथा 2999 से कम हो उन्हें 'ख' श्रेणी में रखा जाय।

(iii) जिन महाविद्यालयों की संख्या 3000 से अधिक हो उन्हें 'क' श्रेणी में रखा जाय।

उपर्युक्तानुसार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन निम्नानुसार किया जाय :–

क0सं0	पदनाम	क' श्रेणी के महाविद्यालय	'ख' श्रेणी के महादिद्यालय	'ग' श्रेणी के महाविद्यालय
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	–	–
2	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	01
3	मुख्य सहायक	01	01	01
4	प्रवर सहायक	04	02	01
5	कनिष्ठ सहायक	10	05	03
6	वैयक्तिक अधिकारी	01	–	–
7	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	–	01	–
8	वैयक्तिक सहायक	–	–	01
9	लेखाकार	01	–	–
10	सहायक लेखाकार	01	01	01
11	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	–	–
12	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	01
13	पुस्तकालय लिपिक	03	02	01
14	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला के प्रत्येक विषय के लिए 03	प्रयोगशाला के प्रत्येक विषय के लिए 02	प्रयोगशाला के प्रत्येक विषय के लिए 01
15	विद्युतकार	01	01	01

16	कम्प्यूटर आपरेटर	02	01	01
17	स्टोरकीपर	01	01	01
18	अनुसेवक	15	10	5
19	प्रयोगशाला परिचर	प्रयोगशाला के प्रत्येक विषय के लिए 03	प्रयोगशाला के प्रत्येक विषय के लिए 02	प्रयोगशाला के प्रत्येक विषय के लिए 01
20	सफाईकार	03	02	01
21	रात्रि चौकीदार	01	01	01
22	माली	01	01	01
23	बुक बाईन्डर एवं लिफ्टर	01	01	01

नोट : उपर्युक्त तालिकाओं के अतिरिक्त अन्य विषयों/पाठ्यक्रमों में कार्यभार के आधार पर पद सृजन के मानक निर्धारित करने हेतु वांछित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। तद्नुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन स्तर पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

संलग्नक – 2

महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की अस्थाई सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण/ सीट वृद्धि/स्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन व निरीक्षण प्रपत्र का प्रारुप

नोट : (i) प्रत्येक पाठ्यकम हेतु पृथक आवेदन करना अनिवार्य है तथा प्रत्येक आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा करना है।
(ii) यदि प्रपत्र में उल्लिखित बिन्दु, विषय से सम्बन्धित नहीं है तो उसके सम्मुख 'लागू नहीं' लिखा जाए,'x' का चिन्ह न बनाया जाय।
(iii) महाविद्यालय/संस्थान प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य कोई सूचना उपलब्ध कराना चाहता है, तो पृथक से सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

भाग – I

1. महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का नाम	
2. महाविद्यालय/संस्थान का पूरा पता	
3. महाविद्यालय/संस्थान की स्थापना का वर्ष	
4. महाविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट व ई–मेल	
5. महाविद्यालय/संस्थान के दूरभाष (सम्पर्क व्यक्ति के नाम व मोबाइल नम्बर सहित)	
6. यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा2(f)/12(B) से आच्छादन की स्थिति	
7. महाविद्यालय/संस्थान की प्रकृति (i) राजकीय (ii) अनुदानित (iii) निजी (iv) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	
8. प्रस्तावक संस्था का नाम	

9. प्रस्तावक संस्था का पता व दूरभाष	
10. प्रस्तावक संस्था की प्रकृति (i) सोसाइटी (ii) न्यास (iii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) (प्रस्तावक संस्था की नियमावली की अद्यतन प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
11. प्रस्तावक संस्था के पंजीकरण की स्थिति (प्रमाण पत्र सहित) (i) पंजीकरण संख्या (ii) पंजीकरण की तिथि (iii) पंजीकरण की वैधता की अवधि	
12. महाविद्यालय / संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण	(see table below)

कं0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	सम्बद्धता की वैधता अवधि	अद्यतन शैक्षणिक वर्ष ( ) में छात्र संख्या

11. संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु सांविधिक/विनियामक निकाय से प्राप्त स्वीकृति का विवरण (स्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न करें)	
12. संचालित पाठ्यक्रमों हेतु वि0वि0 से प्राप्त अस्थाई सम्बद्धता का विवरण (पूर्व स्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न करें) (i) पाठ्यकम हेतु प्रथम बार किस सत्र में अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई (ii) अस्थाई सम्बद्धता में व्यवधान के वर्ष, यदि कोई हो	
13. पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि की दशा में पूर्व में स्वीकृत सीटों की संख्या (स्वीकृत पत्र की प्रति संलग्न करें)	
14. महाविद्यालय/संस्थान में संचालित पाठ्यकमों का विगत 3 वर्षो का औसत परीक्षाफल (उर्त्तीण प्रतिशत)	
15. महाविद्यालय/संस्थान में पूर्व में प्रदत्त शर्तयुक्त सम्बद्धता में लगाई गयी शर्तो की अनुपालन की बिन्दुवार स्थिति	

भाग – II

1. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रयोजन (पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तरण/सीट वृद्धि) (सीट वृद्धि की दशा में पाठ्यक्रम में प्रस्तावित सीटों की संख्या अंकित करें)	
2. शैक्षणिक सत्र जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है	
3. पाठ्यक्रम का नाम जिसकी अस्थाई सम्बद्धता/स्थाई सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तरण/सीट वृद्धि हेतु	

आवदेन किया गया है	
4. अखिल भारतीय स्तर पर पाठ्यक्रम की सांविधिक/विनायक संस्था का नाम	

भाग – III

पाठ्यक्रम के निर्धारित मानक, मानकों की उपलब्धता तथा निरीक्षण आख्या

कम संख्या	आधारभूत मानकों/सुविधाओं का विवरण	सांविधिक/विनियामक निकाय/विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारित मानक (इस कालम की पूर्ति सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी)	पाठ्यक्रम के मानकों की महाविद्यालय/संस्थान में उपलब्धता (इस कालम की पूर्ति प्रस्तावक संस्था द्वारा की जायेगी)	निरीक्षण समिति की आख्या (इस कालम की पूर्ति निरीक्षण समिति द्वारा की जायेगी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**भूमि** (i) उपलब्ध भूमि का पूर्ण पता तथा माप (प्लाट नम्बर/खसरा नम्बर सहित) (ii) भूमि के स्वामी का नाम (iii) भूमि के पंजीकरण का विवरण (भूमि की रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति संलग्न करें) (iv) सम्बन्धित प्राधिकरण से भूमि के प्रस्तावित उपयोग की अनुमति का विवरण (पत्र की प्रति संलग्न करें)			
2	भवन (i) क्या भवन का निर्माण न्यास/सोसाइटी के स्वामित्व वाली भूमि पर किया गया है ? (ii) क्या महाविद्यालय लीज/किराये के			

	भवन पर संचालित है ? (iii) न्यास/सोसाइटी कब तक अपने भवन का निर्माण पूर्ण कर लेगी ? (iv) सक्षम प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति का विवरण (स्वीकृत मानचित्र की प्रति संलग्न करें)			
3	**कक्षो का विवरण** (i) **शैक्षणिक ब्लाक :** 1 व्याख्यान कक्ष 2. प्रायोगिक विषय हेतु प्रयोगशाला कक्ष 3. प्रायोगिक विषय हेतु भण्डार कक्ष 4. पुस्तकालय 5. विभाग में असिसटेंट प्रोफेसर के 5 या अधिक पद सृजित होने की दशा में विभागीय कक्ष 6. विभागाध्यक्ष/स्टाफ कक्ष (ii) **प्रशासनिक ब्लाक :** 7. प्राचार्य कक्ष 8. कार्यालय कक्ष 9. अभिलेखागार कक्ष 10. भण्डार कक्ष 11. परीक्षा कक्ष 12. प्रत्येक शिक्षणेत्तर गतिविधि के लिए कक्ष (iii) **अन्य कक्ष :** 13. बहुउद्देशीय हाल (सभा, संगोष्ठी, कार्याशाला व विविध कार्यक्रमों के लिए)	कक्षों की संख्या क्षेत्रफल	कक्षों की संख्या क्षेत्रफल	

	14. कामन रुम (छात्र) 15. कामन रुम (छात्रा) 16. प्रत्येक संकाय में शौचालय (छात्र/छात्रा हेतु पृथक) 17. छात्र संघ कक्ष 18. अन्य कक्ष		
4	महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत फैकल्टी का विवरण	(see table below)	
5	महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण	(see table below)	

4.

पदनाम	पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पदों की संख्या
प्राचार्य	
प्रोफेसर	
एसोसिएट प्रोफेसर	
असिसटेंट प्रोफेसर	
अन्य	

पाठ्यक्रम में कार्यरत फैकल्टी का विवरण

नाम	पदनाम	अर्हता

5.

पदनाम	निर्धारित पदों की संख्या
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	
वैयक्तिक अधिकारी	
वैयक्तिक सहायक	
प्रशासनिक अधिकारी	
आशुलिपिक	

पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण

नाम	पदनाम	अर्हता

लेखाकार	
मुख्य सहायक	
सहायक लेखाकार	
प्रवर सहायक	
प्रयोगशाला सहायक	
कनिष्ठ सहायक	
तकनीशियन	
कम्प्यूटर आपरेटर	
अनुसेवक	
अन्य	

6 पुस्तकालय व पुस्तकालय में कार्यरत कामिकों का विवरण

(अ)

पदनाम	निर्धारित पदों की संख्या
पुस्तकालयाध्यक्ष	
उपपुस्तकालयाध्यक्ष	
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	
कैटलागर	
पुस्तकालय लिपिक	
पुस्तकालय अनुसेवक	
अन्य	

(ब)

(i) पुस्तकों की संख्या :

(ii) जर्नल्स की संख्या :

(iii) प्रविष्टि पंजिका की स्थिति :

(अ) पुस्तकालय में कार्यरत कार्मिकों का विवरण

नाम	पदनाम	अर्हता

ब) (i) उपलब्ध पुस्तकों की संख्या :

(ii) उपलब्ध जर्नल्स की संख्या :

(ii) प्रविष्टि पंजिका में अंकित पुस्तकों/जर्नल की सख्या :

<table>
<tr><td>7</td><td>फर्नीचर
1) प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / फैकल्टी हेतु कुर्सी / मेज
2) अलमारी (प्राचार्य / फैकल्टी / प्रशासनिक कार्यालय / विभाग हेतु)
3) हॉल / ऑडिटोरियम हेतु फर्नीचर
4) छात्रों हेतु कुर्सी / मेज
5) पुस्तकालय रैक
6) प्रयोगशालाओं हेतु मेज / कुर्सी / स्टूल
7) कम्प्यूटर प्रयोगशाला हेतु कम्प्यूटर मेज
8) अन्य फर्नीचर
9) स्टॉक पंजिका की स्थिति</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>शिक्षण संरचनात्मक सुविधायें
1) ओ0एच0पी0
2) एल0सी0डी0
3) कम्प्यूटर
4) इन्टरनेट सुविधा
5) वाई–फाई
6) अन्य सुविधाऐं</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>छात्रावास
छात्रों एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का विवरण</td><td>छात्रावास
(i) पुरुष छात्रावास
(ii) महिला छात्रावास</td><td><table><tr><td><u>सीटों की संख्या</u></td><td><u>स्वीकृत सीटें</u></td><td><u>निवास कर रहे विद्यार्थियों की संख्या</u></td></tr><tr><td>(i) पुरुष छात्रावास</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(ii) महिला छात्रावास</td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

10	**अन्य सुविधायें** 1) खेल का मैदान 2) सीवरेज 3) रेनवाटर हार्वेस्टिगं 4) वृक्षारोपण 5) अक्षय ऊर्जा का उपयोग 6) अन्य			
11	महिला कार्मिकों एवं छात्राओं की सुरक्षा हेतु महाविद्यालय/संस्थान एवं छात्रावासों में अपनाये गये उपायों का विवरण			
12	रैगिंग रोकने हेतु अपनाये गये उपायों का विवरण			
13	प्राभूत का पूर्ण विवरण (धनराशि एवं तिथि सहित)			
14	सम्बद्धता शुल्क का विवरण (धनराशि एवं तिथि सहित)			
15	**कार्मिकों को वेतन भुगतान का विवरण** (i) संस्था का बैंक खाता संख्या (ii) संस्था की बैंक शाखा का नाम व पता (iii) महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत समस्त कार्मिकों (प्राध्यापकों सहित) को वेतन भुगतान व आयकर कटौती की प्रक्रिया			
16	महाविद्यालय का प्रत्यायन सम्बन्धी विवरण (प्रत्यायन संस्था का नाम, प्रत्यायन वर्ष एवं प्राप्त श्रेणी)			

मैं...(प्राधिकृत अधिकारी)...(पदनाम) शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की है, वे तथ्यों पर आधारित है और सत्य हैं। सम्बद्धता प्रदान किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र में न तो कोई तथ्य छुपाया गया है एवं न ही असत्य है। यदि आवेदन पत्र में अंकित किया गया कोई तथ्य गलत, असत्य या छुपाया गया पाया जाय तो हमारे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम हेतु इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नहीं की गई है। महाविद्यालय/संस्थान में पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में आवदेन पत्र में अंकित कोई भी सूचना औचक निरीक्षण के समय यदि असत्य पायी जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान को पूर्व में प्रदान की गई सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

स्थान :
दिनांक :

प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर

महाविद्यालय/संस्थान की स्थापना के औचित्य तथा पाठ्यक्रम के निर्धारित मानकों को पूर्ण/अपूर्ण करने की स्थिति के आधार पर निरीक्षण समिति की आख्या/संस्तुति

स्थान :
दिनांक :

निरीक्षण समिति में सम्मिलित अधिकारियों के नाम व हस्ताक्षर
(1)
(2)
(3)
(4)

विश्वविद्यालय की संस्तुति
(सम्बद्धता के लिए प्रस्तावित विषय/पाठ्यक्रम में संस्वीकृत सीटों की संख्या सहित)

स्थान :
दिनांक :

(सक्षम अधिकारी का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर)

शपथ पत्र का प्रारुप

(सोसाइटी/न्यास/संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 100 रुपये के स्टाप पेपर में शपथ पत्र का प्रारुप जो कि ओथ कमिश्नर/नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया हो)

मैं ....(प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) पुत्र श्री.. आयु..........वर्ष, निवासी.. शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ

1. कि मैं ....(महाविद्यालय/संस्थान का नाम) में ....(पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण/सीट वृद्धि/स्थाई सम्बद्धता का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए.. (न्यास/सोसाइटी/महाविद्यालय/संस्थान का नाम) का प्राधिकृत व्यक्ति हूँ।
2. कि.. (सोसाइटी/न्यास/महाविद्यालय/संस्थान) के नाम पंजीकृत भूमि का विवरण निम्नवत् है :

   प्लाट/खसरा सं0 :
   ग्राम/शहर :
   जिला :
   राज्य :
   भूमि का कुल क्षेत्रफल :
   उक्त भूमि की खतौनी..(सोसाइटी/न्यास/महाविद्यालय/संस्थान) के नाम ....के कार्यालय में पंजीकृत है।
   भूमि के चारों तरफ स्थित है
   पूर्व में :
   पश्चिम में :
   उत्तर में :
   दक्षिण में :
3. कि उक्त भूमि हमारे स्वामित्व में..वर्षो के लिए पंजीकृत लीज में सोसाइटी/न्यास/ महाविद्यालय/संस्थान के नाम पर है तथा इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है एवं यह भूमि सभी प्रकार के ऋण से मुक्त है।
4. कि उक्त भूमि का उपयोग केवल शैक्षणिक संस्था चलाने के लिए ही है तथा इस हेतु ....(सक्षम प्राधिकरण का नाम) से अनुमति प्राप्त कर ली गई है जिसकी प्रति संलग्न है।
5. कि महाविद्यालय/संस्थान के परिसर तथा भवन का उपयोग केवल उन्हीं पाठ्यकमों के संचालन हेतु किया जायेगा जिनके लिए अनुमति मांगी जा रही है। इसका उपयोग किसी अन्य पाठ्यकम के लिए नहीं किया जायेगा।

6. कि आवेदन के लिए प्रस्तुत पाठ्यक्रम की सम्बद्धता किसी अन्य विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं की गयी है।
7. कि महाविद्यालय/संस्थान समय–समय पर विभिन्न विषयों में सांविधिक/विनियामक निकायों/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियमों, विनियमों, शासनादेशों तथा दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
8. कि महाविद्यालय/संस्थान में नियुक्त किये जाने वाले प्राध्यापकों के पदों संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिनियमों/अध्यादेश/विनियमों के अनुरुप होगीं।
9. कि महाविद्यालय/संस्थान में शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टॉफ को नियमित रुप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय–समय पर विहित वेतनमान का पूर्ण रुप से भुगतान किया जायेगा।
10. कि शिक्षण व गैर शिक्षण स्टॉफ के सदस्यों की नियुक्ति केवल उनके लिए विहित योग्यता तथा अनुभव को आधार मानते हुए की जाएगी।
11. कि महाविद्यालय/संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किए जाने के तीन माह के भीतर नियुक्त किए गए शिक्षकों की अर्हता के सम्बन्ध में अनुमोदन, विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जायेगा तथा शिक्षण स्टॉफ में सभी परिवर्तनों तथा ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, जोकि विश्वविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की जाने वाली शर्तो को प्रभावित करता हो, एक पखवाड़े के भीतर सूचित करेगा।
12. कि छात्रों पर प्रभारित किये जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, समय–समय पर राज्य सरकार/सांविधिक/विनियामक निकाय के मानदण्डों के आधार पर अनुमोदित शुल्क ढांचे के अनुसार ही होंगे।
13. सम्बद्धता के लिए आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश, सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय के द्वारा मान्यता प्राप्त होने एवं सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की अनुमति के उपरान्त ही किये जायेगें।
14. कि महाविद्यालय/संस्थान उपर्युक्तानुसार यथा अनुमोदित विहित शुल्क तथा अन्य प्रभारों के अलावा अपने छात्रों तथा उनके अभिवावकों/संरक्षक से तथा उनकी ओर से कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) या दान एकत्रित नहीं करेगा जिससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता हो।
15. कि कोई भी महाविद्यालय/संस्थान किसी भी छात्र को सम्बद्धता प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला नहीं देगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु संस्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक दाखिला नहीं करेगा।
16. कि महाविद्यालय/संस्थान, विश्वविद्यालय की पिछली अनुमति के बिना, पहले से ही अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम को समाप्त नहीं करेगा।
17. कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गो, जहां कहीं भी लागू हो, के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण राज्य की आरक्षण नियमावली के अनुसार किया जायेगा तथा कल्याण संबंधी कियाकलापों पर महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उचित रुप से ध्यान दिया जाएगा।
18. कि विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/सांविधिक/विनियामक निकाय के आदेशों के तहत् रखरखाव किए जाने वाले लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित सभी रजिस्टरों तथा अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा कभी भी निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा लेखो का प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जायेगा।
19. कि महाविद्यालय/संस्थान इस प्रकार की सभी सूचनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगा ताकि शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के सम्बन्ध में महाविद्यालय/संस्थान के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय/सरकार/को सक्षम बनाये जा सके तथा इस स्तर को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा जो भी निदेश दिये जायेगें, उसे बनाए रखने के लिए सभी कार्यवाहियां करेगा।

२४

20. कि महाविद्यालय/संस्थान, सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शर्तो के अनुरुप सभी कार्मिकों की भविष्य निधि, पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि हेतु दायित्वों का पालन करेगा।

21. कि महाविद्यालय/संस्थान, महिला कार्मिकों एवं छात्राओं की सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।

22. कि महाविद्यालय/संस्थान, एन्टीरैगिंग के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।

23. कि यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शासन/विश्वविद्यालय/द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उक्त सम्बन्धी सूचना/निरीक्षण पर विश्वविद्यालय को महाविद्यालय/संस्थान की सम्बद्धता निरस्त करने का अधिकार होगा एवं ऐसी स्थिति में सम्बद्धता के लिए 6 महीनों के बाद ही आवेदन किया जायेगा।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(पद नाम एवं मुहर सहित)

संलग्नक– 4

परियोजना प्रतिवदेन

(क) शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन में प्रस्तावक संस्था की पृष्ठभूमि तथा सोसाइटी/न्यास की संदृष्टि (Vision) व ध्येय (Mission)।

(ख) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की स्थापना के औचित्य निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या।

1. जिस स्थान पर नया महाविद्यालय/संस्थान स्थापित किया जा रहा है, उसके आस–पास 15 कि0मी0 की परिधि में कितने महाविद्यालय/संस्थान हैं ?
2. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी कितनी है ?
3. उस क्षेत्र में 15 किमी0 की परिधि में स्थित महाविद्यालय/संस्थान में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित है ?
4. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालय/संस्थान को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है ?
5. क्या विद्यमान महाविद्यालय/संस्थान में नवीन पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों/संस्थानों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 30 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे ?
6. क्या नये महाविद्यालय/संस्थान की स्थापना में न्यूनतम 300 छात्र उपलब्ध होगें ?

(ग) भूमि के उपयोग का वास्तुकलात्मक (Architectural) मास्टर प्लान। यदि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का भवन निर्मित हो गया हो तो उसका चारो दिशाओं से लिया गया फोटो।

(घ) प्राध्यापकों व कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया।

(ड़) शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्था का संरचनात्मक ढॉचा।

(च) छात्र–छात्राओं के शुल्क के माध्यम से सृजित निधियों के अतिरिक्त पूँजी के वित्तपोषण तथा व्ययों के लिए आय के स्त्रोत (साक्ष्यों सहित)।

(छ) आगामी 5/10 वर्षो के लिए प्रस्तावित विकास कार्य योजना (अधिकतम दो पृष्ठों में)।

नोट : राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की दशा में प्रतिवेदन में उपर्युक्त बिन्दु (क) तथा (च) का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है।